कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0 ए0 / एस0 एस0 –1 / श0 स्था0 नि0 / 14283/755 दिनांक:– 31/7/12

सेवा में,

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर पंचायत मोतीपुर के वर्ष 2009–10 से 2010–11 तक के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0 619 / 11–12 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है। साथ ही अनुरोध है कि इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के कंडिकाओं का अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के तीन माह के अंदर करवाने का कष्ट करें।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करये गए सूचनाओं / विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सोशल सेक्टर–1
बिहार, पटना

115

नगर पंचायत मोतीपुर
निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–619/11–12
(अवधि– 2009–10 से 2010–11 तक)

1.प्रस्तावना

नगर पंचायत, मोतीपुर के वर्ष 2009–10 से 2010–11 तक के लेखाओं की लेखा परीक्षा स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,पटना,कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा),बिहार,पटना के लेखा परीक्षा दल द्वारा 01.02.12 से 07.02.12 की अवधि में की गई।

2.प्रशासन

क्र0सं0	नाम	अवधि
	अध्यक्ष	
(i)	श्रीमती मीना देवी	01.04.09 से 31.03.11
	उपाध्यक्ष	
(i)	श्रीमती बेबी गुप्ता	01.04.09 से 31.03.11
	कार्यपालक पदाधिकारी	
(i)	श्री सर्वनारायण यादव	01.04.09 से 11.11.09
(ii)	श्री राजकुमार यादव	11.11.09 से 19.04.10
(iii)	श्री उपेन्द्र प्रसाद	19.04.10 से 31.03.11

3.लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत किए गए अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–I में तथा प्रस्तुत नहीं किए गए या संधारित नहीं किए गए अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–II में दी गई है।

4.पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

अंकेक्षण ईकाई द्वारा पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रस्तुत नहीं किया गया।इस कारण जिस उद्देश्य के लिए अंकेक्षण किया गया था,वह पूरा नहीं हो पाया।अतः पूर्ववर्ती सभी अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर यथाशीघ्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को भेजे।

5.आंतरिक लेखा परीक्षा

बिहार नगरपालिका अधिनियम,2007 की धारा 97 में आन्तरिक लेखा परीक्षा का प्रावधान है।लेकिन,मोतीपुर नगर पंचायत में आन्तरिक लेखा परीक्षा को कोई कार्य नहीं किया गया था और इस कारण काफी अनियमिततायें देखी गईं।

अतः पदाधिकारियों को यह सलाह दी जाती है कि इन अनियमितताओं को रोकने के लिए नियमित रूप से जाँच की जाए।

6.संव्यवहार

नगर पंचायत मोतीपुर के विभिन्न रोकड़ बहियो के अवलोकन के पश्चात् संव्यवहार के निम्नलिखित विवरण प्राप्त हुए–

(114)

(i) लेखापाल रोकड़ पंजी (Accountant Cash Book)

	2009–10	2010–11
प्रारंभिक शेष	15550420.00	15772806.00
(+) वर्ष की प्राप्ति	10211181.00	9527714.00
कुल योग	25761601.00	25300520.00
(–) वर्ष का व्यय	9988795.00	6694998.00
अन्तशेष	15772806.00	18605522.00

(ii)राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास योजना (NSDP)

	2009–10	2010–11
प्रारंभिक शेष	661662.00	685023.00
(+) वर्ष की प्राप्ति	23361.00	1232847.00
कुल योग	685023.00	1917870.00
(–) वर्ष का व्यय	Nil	365824.00
अन्तशेष	685023.00	1552046.00

(iii) IDSMT योजना

	2009–10	2010–11
प्रारंभिक शेष	2103204.00	522630.00
(+) वर्ष की प्राप्ति	94912.00	Nil
कुल योग	2198116.00	522630.00
(–) वर्ष का व्यय	1675486.00	Nil
अन्तशेष	522630.00	522630.00

(iv) जिला योजना

	2009–10	2010–11
प्रारंभिक शेष	623674.00	676270.00
(+) वर्ष की प्राप्ति	3494794.00	3000000.00
कुल योग	4118468.00	3676270.00
(–) वर्ष का व्यय	3442198.00	1900364.00
अन्तशेष	676270.00	1775906.00

(v) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)

	2009–10	2010–11
प्रारंभिक शेष	50400.00	1645761.00
(+) वर्ष की प्राप्ति	1620576.00	954599.00
कुल योग	1670976.00	2600360.00
(–) वर्ष का व्यय	25215.00	305320.00
अन्तशेष	1645761.00	2295040.00

प्रस्तुत बैंक पास बुकों की दिनांक 31.03.11 को अंतशेष की विवरणी इस प्रकार थी:–

(i) SBI,रेड क्रॉस,मुजफ्फरपुर,खाता सं0– 1087585201 योजना– घाट निर्माण, 12वॉ वित्त,13वॉ वित्त,पार्षदों को मानदेय तथा चापाकल निर्माण, 31.03.11 को अन्तशेष ₹ 1834715.00

(ii) SBI,मोतीपुर,खाता सं0–30381607733,योजना–BRGF 31.03.11 को अन्तशेष–₹ 2295040.00

(iii) CBI,मोतीपुर,खाता सं0–2155437959,योजना–स्थानीय संग्रहण,जनसंख्या,कृषि इनपुट,31.03.11 को अन्तशेष ₹ 319683.00

(iv)राष्ट्रीय सम विकास योजना, CBI,मोतीपुर A/C No. 215536574 31.03.11 को अन्तशेष–₹ 29859.00

(v)राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास योजना, CBI,मोतीपुर खाता सं0 2155518205,31.03.11 को अन्तशेष–₹ 1552046.00

(vi) स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना, CBI,मोतीपुर A/C No.2155498458, 31.03.11 को अन्तशेष–₹ 202634.00

बैंक पासबुक का रोकड़बही से समाधान कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

7. अंकेक्षण की प्रमुख उपलब्धियाँ

क्र0सं0	कंडिका सं0	विवरण	राशि(₹ में)
1	9	अनुदान का अवरोधन	
2	15	स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर	229954.00
3	18	अनियमित भुगतान	284119.00
4	19	चापाकल निर्माण	112654.00
5	22	अनियमित कार्य	306410.00

8. बजट प्राक्कलन (Budget Estimate)

नगरपालिका अधिनियम 2007 के नियमानुसार अगले वित्तीय वर्ष का बजट प्राक्कलन तैयार कर 15 मार्च तक राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु भेजना है।नगर पंचायत द्वारा बजट प्राक्कलन बोर्ड की कार्यवाही पुस्तिका(Proceedig Book) में तैयार किया गया था।बजट प्राक्कलन के लिए अलग से संचिका नहीं बनाई गई थी।इससे यह पता नहीं चल सका कि बजट सरकार को भेजा गया था या नहीं।बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक व्यय की स्थिति निम्न है:–

बजट प्राक्कलन	2009–10 (₹ लाख में)	2010–11 (₹ लाख में)
अनुमानित आय	719.02	176.04
वास्तविक आय	102.11	95.28
अंतर	619.91	80.76
अनुमानित व्यय	666.52	121.67
वास्तविक व्यय	99.89	66.95
अन्तर	566.63	54.72

इससे स्पष्ट है कि बजट प्राक्कलन काल्पनिक था।

इसके उत्तर में नगर पंचायत ने बताया कि बोर्ड के आदेश पर बजट तैयार किया गया था।

(112)

9.अनुदान का अवरोधन

(I)पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदन तथा सहायक रोकड़बही के आधार पर पाया गया कि निम्नलिखित अनुदानों में कोई व्यय वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 में नहीं किया गया था–

क्र0 सं0	मद का नाम	अनुदान राशि(₹में)
1	सम विकास योजना	38360.00
2	बी0 पी0 एल0	9971.00
3	सफाई सामग्री का क्रय	49649.00
4	सड़क निर्माण	24121.00
5	प्रशासनिक भवन का निर्माण	2887875.00
6	बालिका समृद्धि योजना	10788.00
7	एकादश वित्त आयोग	160.00
8	साक्षरता	19682.00
9	राष्ट्रीय गंदी बस्ती योजना	661932.00
		3702538.00

अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था।इस कारण उपरिलिखित अनुदान कितने वर्षों से अव्यवहृत था यह ज्ञात नहीं हो सका।अनुदान के अवरोधन का कारण अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया।अनुदानों का नियमानुसार यथाशीघ्र उपयोग किया जाये या राशि की आवश्यकता नहीं हो तो वापस सरकार को वापस कर दें।

(II) सहायक रोकड़ बही तथा मदवार व्यय पंजी के अनुसार निम्नलिखित अनुदान दिनांक 31.03.11 को अव्यवहृत थे–

क्र0 सं.0		राशि(₹में)
(i)	अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क	233527.00
(ii)	घाट निर्माण	1252804.00
(iii)	वेतन मद	191739.00
(iv)	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	2295040.00
(v)	अध्यक्ष,उपाध्यक्ष एवं पार्षदों के वेतन एवं भत्ते	147100.00
	योग	4120210.00
(vi)	लघु एवं मध्यम शहरों का विकास योजना	522630.00
	कुल	4644840.00

अनुदान की अवशेष राशि को यथाशीघ्र व्यय किया जाए अथवा उनके आवश्यकता न होने पर राज्य सरकार को वापस किया जाए।

(III) निम्नलिखित अनुदान वर्ष 2010–11 में प्राप्त हुए थे तथा कोई व्यय नहीं हुआ था–

क्र0सं0		राशि(₹में)
(i)	13 वाँ वित्त आयोग	800000.00
(ii)	घाट निर्माण	2500000.00
(iii)	जनगणना कार्य	86700.00
(iv)	सड़क जीर्णोद्धार	1200000.00

इस राशि को यथाशीध्र व्यय किया जाए।

(IV) स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अनुदान की स्थिति निम्न थी–

	राशि(₹में)
प्रा0 अवशेष	584879.00
ब्याज की राशि	32155.00
कुल	617034.00
व्यय	414400.00
31.03.11 को अन्तशेष	202634.00

अंकेक्षण आपत्ति

इस अनुदान से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना था जिससे वह स्वावलंबी बन सके।नगर पंचायत द्वारा दो NGO कृषि एजुकेशनल एवं स्वास्थ्य सेवा संस्थान तथा जीविका,बावन बिगहा,रोड न0–8,मुजफ्फरपुर को कार्य दिया गया था।इन्हें भुगतान की गई राशि का विवरण निम्नलिखित हैः–

कृषि एजुकेशन एवं स्वास्थ्य संस्थान			
(i)	043905	04.03.10	139200.00
(ii)	043907	31.03.10	139200.00
			278400.00

जीविका			
(i)	043906	04.03.10	68000.00
(ii)	043908	31.03.10	68000.00
			136000.00

कुल राशि–₹414400.00

इस संबंध में निम्नलिखित अभिलेख एवं पंजियों अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए–

(i) NGO का पूर्व का अनुभव तथा चार्टर्ड एकाउन्टेंट से अंकेक्षित लेखा

(ii) NGO का आयकर रिटर्न

(iii)गरीबी रेखा से नीचे की सूची

(iv) NGO के चयन की प्रक्रिया

(v)प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की सूची तथा पंजी।

(vi) प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति को जीविकोपार्जन लाभ से संबंधित सूची

(110)

(vii)मकान किराया का सरकारी निर्धारण दर।

उपरलिखित का कारण स्पष्ट करने तक व्यय की गई राशि ₹ 414400.00 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

नगर पंचायत द्वारा उत्तर दिया गया कि–

(i) सभी अवशेष राशि को वार्ड पार्षदों की बैठक में रखकर यथाशीघ्र व्यय कर दिया जाएगा

(ii) जाँचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

10.द्वादश वित्त आयोग

सहायक रोकड़ बही तथा मदवार व्यय पंजी के अनुसार द्वादश वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान की विवरणी निम्न है–

	प्रारंभिक अवशेष	**ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन (50%)**	**नागरिक सुविधा**	**1% Capacity Building**	**(3%)E-Governance**
	753762.00	432706.00	286823.00	24482.00	9751.00
UD &HD letter No. 1337/17.03.10	1264018.00	632009.00	581448.00	12640.00	37921.00
–तथैव– 28 / 17.03.10	414921.00	207460.50	190863.50	4149.50	12447.50
तथैव letter 41 / 25.03.10	414921.00	207460.50	190863.50	4149.50	12447.50
	2847622.00	1479636.00	1249998.00	45421.00	72567.00
व्यय–2009–10	94331.00	शून्य	94331.00	शून्य	शून्य
2010–11		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	2753291.00	1479636.00	1155667.00	45421.00	72567.00

वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 में ठोस पदार्थों के प्रबंधन तथा 1% Capacity Building एवं E-Governance में कोई व्यय नहीं किया गया था तथा नागरिक सुविधा पर ₹ 943331.00 का व्यय 2009–10 में किया गया था।इस प्रकार ₹ 2753291.00 अनुदान की राशि का अवरोधन किया गया था।द्वादश वित्त आयोग की योजना अब बंद हो चुकी है तथा 13वें वित्त आयोग अब प्रारंभ हो चुका है।अतः इस राशि को यथाशीघ्र व्यय करें अथवा आवश्यकता न हो तो सरकार को वापस कर दें।

इस संबंध में नगर पंचायत द्वारा कहा गया कि राशि को शीघ्र व्यय कर लिया जाएगा।

11. निरस्त

12.रोकड़ पंजी

नगर पंचायत में रोकड़ पंजी का संधारण संतोषप्रद नहीं था।रोकड़ पंजी (वर्ष 2009–10 से 2010–11) को कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं कराया गया था।बैंक पास बुक लेखा परीक्षा के अन्त में दिया गया जिससे दोनों का मिलान नहीं किया जा सका।

13.माँग एवं संग्रहण पंजी का संधारण नहीं

नगर पंचायत में मकान कर तथा पेशाकर की माँग एवं संग्रहण पंजी(Demand and Collection Register)का संधारण नहीं किया गया था।इस कारण करों से होने वाली आय की गणना नहीं की जा सकी।इन पंजियों का संधारण कर नगर पंचायत की आर्थिक स्थिति को सुदृढ किया जाना चाहिए।

14.रिक्शा,ठेला एवं खतरनाक व्यवसाय

नगर पंचायत में रिक्शा,ठेला,साईकिल इत्यादि पर टिन टैक्स का आरोपण नहीं किया गया था।खतरनाक व्यवसायों यथा शराब दुकानों,माँस बिक्री इत्यादि पर भी कोई कर नहीं लगाया गया था।इन पर कर आरोपित कर नगर पंचायत की आय में वृद्धि की जानी चाहिए।

15.स्वास्थ्य उपकर एवं शिक्षा उपकर की वसूली नहीं

नगर पंचायत मोतिपुर द्वारा वर्ष 2005–06 से 2010–11 के दौरान स्वास्थ्य उपकर एवं शिक्षा उपकर की वसूली नहीं की गई। जिससे नगर पंचायत को ₹22969.00 तथा सरकार को ₹ 206985.00 राजस्व (विस्तृत विवरणी परिशिष्ट V पर) की हानि हुई। इन्हें वसूल कर इस कार्यालय को सूचित किया जाए।

उत्तर में नगर पंचायत द्वारा कहा गया कि बकायाकर्त्ताओं के विरूद्ध नोटिस भेजा जाएगा।

16.बकांया दुकान किराया

नगर पंचायत मोतीपुर द्वारा स्वपोषित दुकानों तीन जगहों पर स्थापित की गई।इन जगहों पर स्थित दुकानों का बकाया किराया मार्च 2011 तक रू0 168850.00 था। (विस्तृत विवरणी परिशिष्ट VII पर)

अतः यह सलाह दी जाती है कि दुकान किराया अद्यतन वसूलने की दिशा में उचित कदम उठाए जाएँ ताकि नगर पंचायत की आर्थिक स्थिति सुदृढ हो।

नगर पंचायत द्वारा उत्तर दिया गया कि वसूली कार्रवाई की जाएगी।

17.श्रमिक उपकर (Labour Cess)

नगर पंचायत मोतीपुर द्वारा संचालित विभिन्न मदों की कुल 24 योजनाओं के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि किसी योजना के प्राक्कलन में श्रमिक उपकर का प्रावधान नहीं किया गया था एवं बिहार सरकार के स्पष्ट निर्देश के बावजूद श्रमिक उपकर नहीं काटा गया।इस तरह कुल व्यय रू0 7782290.00 का 1% अर्थात् 77823.00 की हानि श्रम निदेशालय को हुई जिसे दोषी व्यक्ति से वसूल कर संबंधित खाते में जमा किया जाए।

उत्तर में कहा गया कि सरकार से पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण प्राक्कलन में प्रावधान नहीं किया गया।भविष्य में प्राक्कलन में प्रावधान कर कटौती की जाएगी।

(108)

18.अनियमित भुगतान

योजना सं0	2/2009-10 (घाट निर्माण)
योजना का नाम	मोतीपुर बस स्टैंड के नजदीक मन किनारे छठ घाट का निर्माण
प्रा0 राशि	₹ 2500000.00
तकनीकी स्वीकृति	कार्यपालक अभियंता(NREP)/08.09.09
प्रशा0 अनुमोदन	UD & HD,बिहार सरकार,पटना के ज्ञापांक 23 दिनांक 21.02.09
संवेदक का नाम	श्री हरेकृष्ण (प्रा0 दर पर)
कार्यादेश की तिथि	15.12.09
कार्य पूर्ण होना था	14.08.10
कार्य पूर्ण हुआ था	02.08.10
मापी पुस्तिका के अनुसार कार्य का मूल्य	₹ 2493726.00
वास्तविक भुगतान	₹ 2231563.00
आयकर	₹ 49874.00
SD(5%)	₹ 124686.00
VAT	₹ 70083.00
Royalty	₹ 17520.00
	₹ 2493726.00

अंकेक्षण आपत्ति

(I) इस योजना की निविदा अधीक्षण अभियंता (NREP) कार्य अंचल-2,मुजफ्फरपुर के कार्यालय में किया गया था तथा न्यूनतम दर पर श्री हरे कृष्ण,संवेदक को यह कार्य दिया गया था।अधीक्षण अभियंता के पत्रांक 182 दिनांक 01.12.09 की निम्न शर्तें थी-

(i) आपूर्ति में लाने वाले सामान की गुणवत्ता जाँच कराकर तथा जाँच के फल से संतुष्ट होकर ही कार्य में व्यवहार करेंगे।

(ii) किसी भी परिस्थिति में एकरारनामा से अधिक का कार्य नहीं कराएंगे।

लेकिन,इसके विपरीत इस कार्य में प्रा0 मात्रा के 10% से अधिक कार्य कराया गया था जिसका कार्यमूल्य ₹ 284119.00(विसतृत विवरणी परिशिष्ट III पर) थी। इसके लिए Deviation at site Statement नहीं लगाया गया था। अतः रू0 284119.00 का भुगतान अनियमित था।

(II) इस योजना में निम्नलिखित कार्य किया गया था जिसका प्राक्कलन में प्रावधान नहीं था-

			Amount(in ₹)
(i)	Shuttering & PCenterning	$48.73m^2$ @ $119.45/m^2$	5821.00
(ii)	Cement Plaster(1:4)	$119.03m^2$ @ $56.70/m^2$	6749.00
(iii)	Earth from 1 Km lead	$108.20m^3$ @ $106/m^3$	11469.00
(iv)	Local Sand Carriage	$12.012m^3$ @ $129.24/m^2$	1552.00
(v)	Extra Cost of Steel	13.21769MT @ 2210/MT	29211.00
(vi)	Extra Cost of Mason	326 No @ 15/No	4890.00
			59692.00

अतः ₹ 59692.00 का भुगतान प्राक्कलन के प्रावधानों के विरूद्ध था,जो अनियमित था।

(III) इस योजना में उपयोग की गई सामग्री के गुणवत्ता की जाँच गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल से नहीं कराया गया था,न ही इसके लिए भुगतान राशि रू0 2493726 x 10%=₹ 249373.00 राशि को Keep back रखा गया था।गुणवत्ता प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने के बावजूद पूरा भुगतान का कारण अगले अंकेक्षण में स्पष्ट करें।

अतः उपर्युक्त आपत्तियो के निराकरण किये जाने तक अनियमित भुगतान की राशि ₹ 284119+ 59692 =343811.00 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

उत्तर में नगर पंचायत द्वारा कहा गया कि जाँच के बाद कार्यवाही की जाएगी।

19.चापाकल निर्माण (विधायक मद)

विधायक मद में प्राप्त ₹ 952800.00 में से ₹942626.00 का व्यय प्रत्येक वार्ड में दो (02) चापाकल अधिष्ठापन माननीय विधायक की अनुशंसा पर किया गया तथा अवशेष राशि ₹ 10174.00 थी।इस राशि को यथाशीघ्र व्यय किया जाए अथवा सरकार को वापस किया जाए।
इस राशि से ली गई योजना में निम्न त्रुटियाँ पायी गयी–

योजना सं0	01/2008–09
योजना का नाम	प्रत्येक वार्ड में दो स्थानों पर अर्थात् कुल 30 स्थानों पर चापाकल का अधिष्ठापन
प्रा0 राशि	₹ 943437.00
संवेदक का नाम	श्री नंद किशोर ठाकुर (प्रा0 दर पर)
कार्यादेश की तिथि	06.08.08
कार्य पूर्ण होना था	05.10.08
कार्य पूर्ण हुआ था	19.05.09
वास्तविक भुगतान	₹ 876642.00
SD(5%)	₹ 18853.00
	₹ 942626.00

अंकेक्षण आपत्ति

(i) इस योजना को 06.10.08 को पूर्ण करना था।लेकिन यह योजना 19.05.09 को पूर्ण हुई थी।समय वृद्धि का आवेदन संवेदक द्वारा दिया गया था जिसमें यह बताया गया था कि संवेदक बीमार है तथा इस समयावृद्धि को अधिक्षण अभियंता द्वारा अनुशंसित किया गया था लेकिन चिकित्सा प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं था तथा Form F-2 के नियमानुसार 40 दिनों के अंदर नहीं था।अतः समयावृद्धि का आवेदन मान्य नहीं था।अतः 10% क्षतिपूर्ति शुल्क (943437 x10%) ₹94344.00 वसुली योग्या है।

अतः ₹94344.00 की वसूली संबंधित संवेदक/भुगतान के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों से किया जाय।

20.स्वामित्व कर तथा मूल्यवर्द्धित कर की कम कटौती

वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 की योजना संचिका तथा मापी पुस्तिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि स्वामित्वकर की राशि ₹20608.00 तथा VAT की राशि ₹ 69010.00 की कम कटौती की गई थी (विस्तृत विवरणी परिशिष्ट VIII पर)।अतः कुल कम कटौती राशि ₹ 89618.00(20608+69010) संबंधित व्यक्तियों से वसूल कर सरकार के संबंधित खाते में जमा किया जाए।

इस संबंध में नगर पंचायत द्वारा उत्तर दिया गया कि संवेदक की सुरक्षित जमा राशि से कटौती की जाएगी।

(106)

21. अनियमित व्यय

योजना सं0	9/2010–11 (12[th] FC)
योजना का नाम	वार्ड सं0 9 में जयमंगल साह के दरवाजे से कृष्णा महतो के दरवाजा तक PCC सड़क निर्माण कार्य
प्रा0 राशि	₹ 272900.00

इस कार्य को संवेदक प्रभाकर कुमार को 0.07% कम पर दिया गया था तथा इसमें भुगतान ₹ 27035.00 का था।इस योजना के निम्न कार्य में प्रा0 कार्य से 10% अधिक किया गया था तथा इसके लिए Deviation at site Statement नहीं बनाया गया था–

क्र0सं0	कार्य का नाम	प्रा0 मात्रा	वास्तविक मात्रा	अन्तर	दर	राशि(₹ में)
(i)	मिट्टी भराई	41 मजदूर	47 मजदूर	6 मजदूर	104	624.00
(ii)	Brick on edge soling	53.94 m^2	66.26 m^2	12.32 m^2	253.95 $/m^2$	3129.00
						3753.00

₹ 3793.00 का भुगतान अनियमित था तथा इसकी जिम्मेवार व्यक्तियों से किया जाय।

22. अनियमित कार्य

योजना सं0	1/2009–10 (राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास योजना)
योजना का नाम	बतहा दुकान से बैरूद्दीन दवा दुकान तक नाला निर्माण
प्रा0 राशि	₹ 314600.00
तकनीकी स्वीकृति	अधीक्षण अभियंता,ग्रामीण कार्य निर्माण विभाग,मुजफ्फरपुर, 07.01.10
संवेदक का नाम	श्री रामबाबू राय
मापी पुस्तिका की तिथि तथा कार्यमूल्य	26.07.10,₹ 311164.00
कार्यादेश की तिथि	09.07.10
कार्य पूर्ण होना था	08.08.10
कार्य पूर्ण हुआ	26.07.10
वास्तविक भुगतान	29.07.10 ₹ 288636.00
SD(5%)	₹ 15558.00
IT(2.241)	₹ 6970.00
	₹ 311164.00

अंकेक्षण आपत्ति

(i) अवर प्रमंडल पदाधिकारी,PHED के ज्ञापांक 110 दिनांक 12.07.10 तथा कार्यपालक अभियंता,लोक स्वास्थ्य प्रमंडल मुजफ्फरपुर द्वारा आपत्ति की गई थी कि हॉस्पीटल रोड से हनुमान मंदिर तक जो नाला निर्माण कराया जा रहा है उसके ठीक नीचे पानी आपूर्ति का पाईप लाइन बिछा हुआ है।नाला से अगर गंदा पानी लीकेज होकर पाईप लाइन पर गिरेगी तो गंदा पानी ही आपूर्ति होने लगेगा तथा पाईप लाइन में

लीकेज अथवा मरम्मती कार्य कराने के समय नाले को तोड़ना होगा,जिससे इस पर व्यय होनेवाली राशि व्यर्थ हो जाएगी।कार्यपालक अभियंता के पत्रांक 1399 दिनांक 18.08.10 के आपत्ति पर कार्यपालक अधिकारी द्वारा दिनांक 23.08.10 को कनीय अभियंता तथा सहायक अभियंता से जाँच प्रतिवेदन माँगा गया।लेकिन जाँच प्रतिवेदन संचिका में उपलब्ध नहीं था। कार्य दिनांक 26.07.10 को ही पूर्ण हो गया था।नाला निर्माण स्थल की जाँच निर्माण से पूर्व नहीं कराए जाने एवं इसका जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने तक व्यय की गई राशि ₹ 306491.00(₹ 311164–₹ 4673) आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

(ii) संवेदक द्वारा ₹ 311164.00 का कार्य कराया गया था।लेकिन एकरारनामे की शर्त के अनुसार 0.05% निम्न दर से राशि की कटौती नहीं की गई थी।अतः 311164 का 0.05 % अर्थात् ₹ 156.00 को जिम्मेवार व्यक्ति से वसूल कर लिया जाए।

(iii) इस कार्य में लगी सामग्री के गुणवत्ता की जाँच Quality Control Division से नहीं कराया गया था,जबकि संवेदक को भुगतान कर दिया गया था।बिना जाँच के 10% राशि Keep back रखकर भुगतान करना चाहिए था।लेकिन ऐसा नहीं करने का कारण अगले अंकेक्षण में स्पष्ट करे।

(iv)इस योजना में VAT की कटौती 4% अर्थात् 311164 x 4%=₹ 12447.00 करना चाहिए था जबकि कटौती ₹ 8221.00 की गई थी। अतः ₹ 4226.00 की कम कटौती थी।

(v) ₹ 291.00 स्वातित्व कर की कम कटौती की गयी थीः

क्र0सं0	सामग्री का नाम	मात्रा	स्वामित्व कर की दर	Royalty की राशि(₹)
(i)	ईंट	20320	20%	406.00
(ii)	स्थानीय बालू	11.32 m^3	32 /m^3	362.00
(iii)	मिट्टी	17.41m^3	50 /m^3	871.00
(iv)	सोन बालू	22.10m^3	32 /m^3	707.00

अतः स्वामित्व कर की राशि ₹ 2346.00 कटौती करनी थी जबकि कटौती ₹ 2055.00 की गई थी।अतः ₹ 291.00 की कम कटौती की गई थी।

अतः कम कटौती ₹ 4673.00(₹156+₹4226+₹291) की वसूली जिम्मेवार व्यक्तियों से की जाय।उत्तर दिया गया कि स अभि0 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर सूचित किया जाएगा।

23.दैनिक मजदूरी पर अनियमित व्यय

दैनिक मजदूरी पर रखे गए कर्मियों की वेतन पंजी से स्पष्ट हुआ कि विभिन्न समयों पर कुल 11(ग्यारह) कर्मी दैनिक मजदूरी पर रखे गए।नगर पंचायत में कर्मियों की जगह खाली होने के बावजूद उन्हें नियत वेतन पर रखने की बजाए दैनिक मजदूरी पर रखा गया और इस तरह वर्ष 2009–10 से 2010–11 तक दैनिक कर्मियो के वेतन पर कुल रू0 485106.00(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट VI पर) खर्च किए गए।सरकार के दैनिक मजदूरी पर कर्मी बहाल न करने के निदेश के बावजूद खर्च किया गया।अतः उक्त व्यय ₹485106.00 को अनियमित मानकर आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

इसके प्रत्युत्तर में नगर पंचायत द्वारा कहा गया कि कर्मचारियों की कमी के कारण कर्मियों को दैनिक मजदूरी पर रखा गया है जो संतोषजनक नहीं है।

(104)

24.लेखा परीक्षा का परिणाम

अंकेक्षण के दौरान वसूल की गई राशि	शून्य
अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी गई राशि	₹ 1549808.00
वसूली हेतु सुझाई गई राशि	₹ 270251.00
अधिभार द्वारा वसूली के लिए सुझाई गई राशि	शून्य

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट IX पर)

25. कार्यपालक से वार्त्तालाप

लेखा परीक्षा के दौरान उठाई गई आपत्तियों के संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी से समय–समय पर चर्चा की गई।

26.सामान्य अभियुक्ति

नगर पंचायत में लेखाओं का संधारण संतोषजनक नहीं था।होल्डिंग टैक्स तथा पेशाकर के माँग तथा संकलन पंजी का संधारण नहीं किया गया था अत: यह ठीक ठीक अनुमानित नहीं किया जा सका कि किस अवधि से तथा कितनी राशि बकाया है।

कार्यकारी पदाधिकारी को सलाह दी जाती है कि लेखाओ का संतोषप्रद संधारण कराया जाए।

-sd-

आलोक कुमार
सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी(परि0)

Approved

Examiner of Local Accounts
Bihar, Patna.
-cum-
Dy. Accountant General
(SS-I)

(103)

सं० एल० ए०/एस० एस० –1/श० स्था० नि०/ दिनांक

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत मोतीपुर को इस अनुरोध के साथ अग्रसारित किया जाता है कि इस प्रतिवेदन की प्राप्ति के तुरंत बाद प्रतिवेदन की कंडिकाओं पर चर्चा हेतु विशष रूप से बुलायी गयी वार्ड पार्षदों की सभा में प्रतिवेदन को उपस्थापित किया जाय तथा परिषद के प्रत्युत्तर से प्रतिवेदन प्राप्ति के तीन महीने के अंदर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करये गए सूचनाओं/ विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

-ह०/-

लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय,सोशल सेक्टर–I
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
बिहार,पटना

सं० एल० ए०/एस० एस० –1/श० स्था० नि०/ 14283/755 दिनांक 31/7/12

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु अग्रसारितः–

(i) प्रधान सचिव,नगर एवं आवास विकास विभाग,बिहार सरकार,पटना
(ii) जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर

लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय,सोशल सेक्टर–I
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
बिहार,पटना

परिशिष्ट – I

– अंकेक्षण के दौरान नमूना जाँच किए जाने वाले अभिलेखों की सूची –

1. रोकड़ पंजी (मुख्य रोकड़ पंजी एवं अन्य योजनाएं)
2. बैंक पासबुक (ट्रेजरी पास बुक सहित)
3. योजना पंजी
4. योजना अभिलेख
5. रसीद का भंडार पंजी
6. मिश्रित रसीद बुक, M रसीद बुक
7. वेतन पंजी
8. बंदोबस्ती पंजी
9. भुगतान अभिश्रव

अंकेक्षण के दौरान नहीं प्रस्तुत किए जाने वाले अभिलेखों की सूची —

1. अग्रिम बही
2. Mutation पंजी
3. ऋण पंजी
4. जमा पंजी
5. संपत्ति एवं देनदारी बही
6. वार्षिक लेखा
7. माँग एवं संग्रहण पंजी
8. कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका

Umar

(18)

परिशिष्ट — III

योजना सं0 2/09-10 जो मोतीपुर बमफ्रेंड के मन किनारे ... धार निर्माण कार्य में प्राक्कलन की मात्रा के 10% से अधिक कार्यों का विवरणी

[कंडिका पर]

क्र0	कार्य का नाम	प्रा0 मात्रा/मजदूर	कार्य पर लगाई गई मात्रा/मजदूर	आधिक्य	दर	राशि
1.	स्थल सफाई	24 मजदूर	41 मजदूर	17 मजदूर	115/-	1955.
2.	मिट्टी कटाई	183.02 m^3	608.04 m^3	425.02 m^3	91.60/ m^3	38932.0
3.	Brick flat Solling	169.69 m^2	656.70 m^2	487.31 m^2	123.05/ m^2	59963.0
4.	RCC M-150	2.66 m^3	3.02 m^3	0.36 m^3	2339.15/ m^3	842.0
5.	Brick Work (1:6) foundation	8.94 m^3	13.12 m^3	4.18 m^3	2229.90/ m^3	9321.0
6.	Brick Work (1:6) supperstructure	14.34 m^3	22.81 m^3	8.47 m^3	2430.40/ m^3	20585.0
7.	6mm Cement Plaster (1:4)	46.72 m^2	90.83 m^2	44.11 m^2	42.20/ m^2	1861.00
8.	25mm cement Plaster (1:4)	161.50 m^2	247.16 m^2	85.66 m^2	47.40/ m^2	4060.0
9.	Earth filling in foundation	54 मजदूर	539 मजदूर	485 मजदूर	115/ मजदूर	55,775.
10.	White washing	214.84 m^2	299.30 m^2	84.46 m^2	5.05/ m^2	427.
11.	Reinforcement 16 mm	0.06804 MT	1.716 MT	1.64796 MT	49900/ MT	82233.0
12.	carraige Brick	51718 No.	66165 No.	14447 No.	~~565~~ 565.20 %	8165.00
						Rs. 2,84,119.0

परिशिष्ट - IV

(i) रोकड़ पंजी (Accountant Cash Book)
SBI Muzaffarpur A/c No. 10875805201

	2009-10	2010-11
प्रारंभिक शेष	15550420	15772806
(+) वर्ष की प्राप्ति	10211181	9527714
कुल योग	25761601	25300520
(-) वर्ष का व्यय	9988795	6694998
अन्त शेष	15772806	18605522

(ii) राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास योजना (NSDP)

	2009-10	2010-11
प्रारंभिक शेष	661662	685023
(+) वर्ष की प्राप्ति	23361	1232847
कुल योग	685023	1917870
(-) वर्ष का व्यय	Nil	365824
अन्त शेष	685023	1552046

(iii) IDSMT, CBI Muzaffarpur A/c No.- 20442

	2009-10	2010-11
प्रारंभिक शेष	2103204	522630
(+) वर्ष की प्राप्ति	94912	Nil
कुल योग	2198116	522630
(-) वर्ष का व्यय	1675486	Nil
अन्त शेष	522630	522630

		2010-11
प्रारंभिक शेष	623674	676270
(+) वर्ष की प्राप्ति	~~3494794~~	3000000
कुल योग	4118468	3676270
(-) वर्ष का व्यय	3442198	1900364
अन्तशेष	676270	1775906

(V) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)
SBI Motipur A/c No. 30381607733

	2009-10	2010-11
प्रारंभिक शेष	50400	1645761
(+) वर्ष की प्राप्ति	1620576	954599
कुल योग	1670976	2600360
(-) वर्ष का व्यय	25215	305320
अन्तशेष	1645761	2295040

परिशिष्ट – V

Statement showing the details of Health cess and Education cess to be deducted.

ar	Amount of Holding Tax collected (Rs.	Amount of Health Cess to be imposed and collected (Rs)	Amount of Education Cess to be imposed and collected (Rs.)	10% Collection charges (Rs.)	Amount to be deposited in Govt A/c
9-10	61430	30715	30715	6143	55557
10-11	24849	12424.50	12424.50	2485	22364
			Total	8628	77921

Also, non imposition of health cess & education cess statement during previous four years

5-06	6660	3330	3330	666	5994
06-07	39130	19565	19565	3913	35217
07-08	47820	23910	23910	4782	43038
08-09	49795	24898	24898	4980	44815
			Total	14341	129064
			Grand Total	22969	206985

97

LS

परिशिष्ट – VI

Abstract of Payments on Daily Wages Staff.

Sl. No.	Name/Desi.	Month	Year	Amount	
01.	Ranjeet Kumar (Assistant)	April	2009	2548/-	
		May	"	2548/-	
		June	"	2548/-	
		July	"	2548/-	
		Aug. to Dec.	"	12,740/-	(5 x 2548/-)
		Jan. ~~to~~	2010	2548/-	
		March.	"	1666/-	
		April to July	"	10,192/-	(4 x 2548/-)
		Aug. to Dec.	"	18,850/-	(5 x 3770/-)
		Jan. to March	2011	10,440/-	(3 x 3480/-)
			Total	66,628/-	
02.	Pramanand Prasad (Tahsildar)	April to Dec.	2009	22,932/-	(9 x 2548/-)
		Jan. to July	2010	17,836/-	(7 x 2548/-)
		Aug. to Dec.	2010	18,850/-	(5 x 3770/-)
		Jan. to March.	2011	10,730/-	(3770 + 2 x 348
				70,348/-	
03.	Rameshwar Pd. Mandal (Office Peon)	April to Dec.	2009	17,550/-	(9 x 1950/-)
		Jan. to July	2010	13,650/-	(7 x 1950/-)
		Aug. to Dec.	2010	14,820/- ~~13,470/-~~	(5 x 2964/-)
		Jan. to March	2011	8,550/-	(2964 + 2736 + [illegible] + 2850/-
				54,570/-	
04.	Ganesh Ram (S. Worker)	April to Dec.	2009	17,550/-	(9 x 1950/-)
		Jan. to July.	2010	13,650/-	(7 x 1950/-)
		Aug. to Dec.	2010	14820/-	(5 x 2964/-)
		Jan. to March	2011	8322/-	(2622 + 2736 + 2964
				54342	